# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल
दूरभाष क्र. 0755–2550091

## दसवीं बैठक

मनरेगा अंतर्गत वित्त वर्ष 2011–12 में राशि जारी करने संबंधी एप्राईज़ल कमेटी की दसवीं बैठक दिनांक 05.01.2012 का कार्यवाही विवरण।

परिषद् के पत्र क्र. Q-1/NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2011दिनांक 29.12.2011 के तारतम्य में दिनांक 05.01.2012 को खण्डवा, राजगढ़, देवास, अलीराजपुर एवं मुरैना को आमंत्रित किया गया। परन्तु जिला पंचायत अलीराजपुर एवं देवास के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुये। शेष जिले यथा खण्डवा, राजगढ़ एवं मुरैना के अधिकारीगण उपस्थिति हुये। उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर है। एप्राईज़ल कमेटी के सदस्यों में मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 9334 NREGSMP वित्त एवं लेखा/2011 दिनांक 24.09.11 एवं 9482 दिनांक 29.09.11 में अंकित सदस्य उपस्थित हुए। परिशिष्ट 02।

प्रस्ताव में परिषद् के पत्र क्र. NREGS-MP वित्त एवं लेखा 2011/6612 भोपाल दिनांक 22.6.2011 के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है तथा प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक तैयारी हेतु परिषद के पत्र क्र. 9622/NREGS-MP/NR-4/2011 भोपाल दिनांक 3.10.2011 का पालन अनिवार्य है।

जिलों को निर्देश दिये गये कि पत्र दिनांक 22.6.2011 के तारतम्य में प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अनिवार्य रूप से निर्देशित क्रम में ही संलग्नक लगाऐं एवं सलग्नकों की पेंजिंग एवं Indexing भी निम्नानुसार करें। यह भी सुनिश्चित किया जाये की प्रस्ताव एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों पर जिला कार्यक्रम समन्वयक अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं लेखाधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से हों –

| संबंधित दस्तावेज | पृष्ठ क्र. ..... से ..... तक |
|---|---|
| | |

निम्न क्रमवार जिलों के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत राशि मांग के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

## जिला – राजगढ़

- जिले के प्रस्ताव में फेक्टसीट, शिकायतों के निराकरण, लंबित विधानसभा प्रश्न, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्र स्तरीय क्वालिटी मॉनीटर, मेपिंग, समस्या निवारण शिविर एवं आईईसी संबंधी शिकायतों की स्थिति नही पायी गई। जिले को निर्देशित किया गया कि भविष्य में उचित प्रकार से ही निर्देशानुसार प्रस्ताव भेजे जायें।

- जिले के कार्यपालन यंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि जिले के एमआईएस का सम्पूर्ण बैंकलाग 15 दिवस में पूर्ण कर दिया जावेगा। साथ ही परिषद् मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा।

- एप्राईजल कमेटी द्वारा निर्देश किया गया कि जिले में होने वाले समस्या शिविरों को केवल समस्या होने पर ही लगाया जाये । इसे अभ्यास में न जाया जाये।

- एप्राईजल कमेटी द्वारा निर्देश किया गया कि मनरेगा के अन्तर्गत आने वाले सभी कामों का ट्राक्स रेट पहले से ही निर्धारित है। वन विभाग एवं अन्य विभागों के ट्राक्स रेट मनरेगा के आने वाले कामों में नहीं अपनाये जायेगें।

- एप्राईजल कमेटी द्वारा निर्देश किया गया कि वन विभाग एवं अन्य लाईन विभाग द्वारा बिलम्ब हो रहे मजदूरी भुगतान एवं अन्य समस्याओं के संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा रिपोर्ट बनाकर परिषद् को भेजे।

- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले की मांग एवं प्रस्ताव पर रूपया राशि 35 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई। जिसमें से पूर्व में जारी की गई राशि रू. 10 करोड़ समायोजन उपरान्त राशि रू. 25 करोड़ जाने है।

## जिला – खण्डवा

- जिले के प्रस्ताव में फेक्टसीट, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्र स्तरीय क्वालिटी मॉनीटर संबंधी शिकायतों की स्थिति नही पायी गई। जिले को निर्देशित किया गया कि भविष्य में उचित प्रकार से ही निर्देशानुसार प्रस्ताव भेजे जायें।

- अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया शिकायतों का निराकरण आगामी तीन दिवस में किया जाकर अवगत कराया जायेगा।

- अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के लगभग 20 हजार कामों में से माह मार्च तक 10 हजार कार्यों को पूर्ण कर एमआईएस में अंकित किया जायेगा।

- एप्राईजल कमेटी द्वारा आदेशित किया गया कि कार्यपूर्णता अनुपात बहुत ही कम है जो कि चिन्तनीय है एवं जिले के अधिकारियों द्वारा उक्त अनुपात में सुधार किये जाने हेतु आश्वास्त किया गया ।

- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर रूपया 40 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई ।

## जिला – मुरैना

- जिले के प्रस्ताव में फेक्टसीट, शिकायतों के निराकरण, भारत सरकार से संबंधित शिकायतें, लंबित विधानसभा प्रश्न, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्र स्तरीय क्वालिटी मॉनीटर, मेपिंग, समस्या निवारण शिविर एवं आईईसी संबंधी शिकायतों की स्थिति नही पायी गई। जिले को निर्देशित किया गया कि भविष्य में उचित प्रकार से ही निर्देशानुसार प्रस्ताव भेजे जायें।
- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर राशि रू. 5 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई।

**इसी के साथ निम्न निर्देश भी दिये जाते हैं –**

1. जिले के प्रशासनिक व्यय के संबंध में व्यय के सही वर्गीकरण हेतु एवं सही MIS हेतु निर्देशित किया गया।
2. वित्त वर्ष 2010–11 की सीए ऑडिट रिपोर्ट के प्रारंभिक शेष को तत्काल MIS में अंकित किया जाये।
3. SQM एवं ऑडिट की कण्डिकाओं का पालन जिले तत्काल सुनिश्चित कर परिषद को प्रेषित करें।
4. संकल्प संबंधित कोई भी बिन्दु जिले में लंबित न रखा जाऐ।
5. मानव दिवस में गिरावट न हो एवं योजना संचालन सफलता पूर्वक हो। इस गिरावट के कारणों की सूक्ष्मता से वर्यवेक्षण करें।
6. 60 : 40 का अनुपात का संधारण हो।
7. औसत मजदूरी भुगतान की स्थिति पर नियंत्रण रखें।
8. ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यय पर नियमानुसार परीक्षण करें। कार्यों के कंटिनजेंसी व्यय का सही उपयोग हो इस हेतु ध्यान आकर्षित किया गया। ग्राम पंचायतों को वर्तमान में प्रशासनिक व्यय अनुमत्य नहीं है एवं जिन मदों में अनुमत्य है वह जनपद के प्रशासनिक व्यय पर ही समायोजित होगा।
9. ऑडिट एवं फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट के सॉफ्टवेयर में समस्त आकड़ें तत्काल अंकित किए जाऐं। इसी प्रकार मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के सॉफ्टवेयर में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आकड़े अंकित करना सुनिश्चित करें।
10. भविष्य में जिले अपनी मांग प्रस्ताव भेजने समय मासिक लेबर बजट के विरूद्ध कितना व्यय हुआ एवं जो प्रस्ताव है वह किस प्रकार मासिक लेबर बजट से सुसंगत है इस को भी अंकित कर स्पष्ट रूप से राशि का प्रस्ताव रखा करें।

11. जिलों को यह भी निर्देशित किया जाता है जिन ग्राम पंचायतों में अत्याधिक वित्तीय संव्यवहार हो रहें हैं उनके संबंध में सूक्ष्म अनुश्रवण किया जाऐ।

12. यदि किसी जिले को लेबर बजट में संशोधन कराना है तो तत्काल ही परिषद् में जानकारी भेंजे।

13. संचालनालय पंचायत के प्रतिनिधि ने 12 वें एवं 13 वें वित्त आयोग के उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं विधानसभा प्रश्न आश्वासन आदि लंबित न रहें। इस हेतु जिलों से अनुरोध किया।

14. अपूर्ण कार्यों को तत्काल पूर्ण कराया जाये।

15. मजदूरी भुगतान में विलम्ब न हो एवं MIS से मजदूरी भुगतान में विलम्ब का पत्रक निकालकर जिले उसके उपर नियमति समीक्षा करें।

16. आंतरिक लेखा परीक्षण संबंधी कार्यवाही को तत्काल संपादित करें एवं इस संबंध में मुख्यालय द्वारा चाही गई जानकारी तत्काल भेजे।

आयुक्त मनरेगा एवं अध्यक्ष एप्राइज़ल कमेटी द्वारा अनुमोदित।

(डॉ0 राजीव सक्सेना)
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
एवं सदस्य सचिव एप्राइज़ल कमेटी

पृ.क्रमांक / 295 /NR-4/MGNREGS-MP /11 भोपाल, दिनांक 09 /01 / 11

प्रतिलिपि –

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त पंचायती राज संचालनालय, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य अभियंता मनरेगा मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संयुक्त आयुक्त मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा) मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संचालक, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सिस्टम एनालिस्ट मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला राजगढ़, खण्डवा एवं मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़, खण्डवा एवं मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
एवं सदस्य सचिव एप्राइज़ल कमेटी

परिशिष्ट – 02

## उपस्थित अधिकारियों की सूची

| क्र. | अधिकारी का नाम | पद | उपस्थित दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री नीरज मण्डलोई | आयुक्त मनरेगा | 05.01.2012 |
| 2 | श्री बृजेश कुमार | अपर सचिव | 05.01.2012 |
| 3 | श्री प्रभाकांत कटारे | मुख्य अभियंता मनरेगा | 05.01.2012 |
| 4 | डॉ. राजीव सक्सेना | संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा) | 05.01.2012 |
| 5 | श्री विकास मिश्रा | संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) | 05.01.2012 |
| 6 | सुश्री संजना जैन | संयुक्त आयुक्त | 05.01.2012 |
| 7 | श्री प्रद्युम्न शर्मा | संचालक, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, मनरेगा | 05.01.2012 |
| 8 | श्री उवेश अहमद | सिस्टम एनालिस्ट | 05.01.2012 |